न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 49/2022

1 खतीजा बानो पत्नी मोहम्मद याकूब जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 9 मोहल्ला आथूणा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

2 इस्माईल खान पुत्र नूर मोहम्मद।

3 मौसिन खान पुत्र इस्माइल खान समस्त जाति कायमखानी निवासीगण वार्ड नम्बर 27 मदिना मस्जिद के पास रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

4 अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद सदीक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 10 मोहल्ला आथूणा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

5 जावेद पुत्र अब्दुल हक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 मोहल्ला आथूणा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

6 ईशाक पुत्र अलाउदीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 9 मोहल्ला आथूणा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

7 अब्दुल खालिक पुत्र मौलाबक्स जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 12 मोहल्ला आथूणा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

2 पुरूषोतम पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 24 रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

3 मोहम्मद साबिर पुत्र मोहम्मद याकूब।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद याकूब समस्त जाति मुसलमान व्यापारी निवासीगण वार्ड नम्बर 9 मोहल्ला आथूणा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी
प्रकरण अनुवानी तहसीलदार बनाम पुरूषोतम
मुकदमा नम्बर 09/2016 अपील अन्तर्गत धारा
223 आर.टी.एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांक:— 3-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2016 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने आवेदन अन्तर्गत धारा 177 प्रस्तुत कर कथन किया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कि तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 18.02.2016 को ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3/195/1/1 रकबा 0.93 हैक्टेयर में अप्रार्थी पुरूषोतम खातेदार कृषक है। अप्रार्थी समस्त कृषि भूमि पर प्लाटिंग व 12 दुकानों का निर्माण कर रखा है। बिना प्रार्थी की अनुमती के अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है कि वह कृषि भूमि की मिस्म बदले व भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक का अधिकार नही होते हुए भी अकृषि भूमि में तब्दील करें। विचारण न्यायालय ने दावा प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज कर कब्जेराज लेने के आदेश पारित किये है। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने धारा 96 व धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 3/195/1/1 रकबा 0.93 हैक्टेयर तन ग्राम रूकनसर जिनके हाल द्वितीय पैमाइस में नये खसरा नम्बर 4,5,6,7,8 पड़े है व इनके भी तरमीम खसरा नम्बर 447/4,449/5,451/6 बने है उनमें से अपीलांट संख्या 1 के पति मोहम्मद याकूब ने दिनांक 25.11.2010 को एक किता आवासीय भूखण्ड खरीदा व उसमें आवासीय मकानो का निर्माण किया व विधुत विभाग से बिजली का विधिवत विधुत सम्बंध लिया जिस पर तहसीलदार ने सहमती व स्वीकृति प्रदान की, मोहम्मद याकूब का देहान्त हो गया है जिसकी मृत्यु पर उसकी वारिस उसकी स्त्री अपीलांट संख्या 1 व उसके पुत्रगण काबिज है अपीलांट संख्या 1 के पुत्रगण मो. साबिर व मो. जावेद वर्तमान में मजदूरी हेतु विदेश गये हुए है तथा इसी भांति अपीलांट संख्या 2 ने विवादित आराजी में एक आवासीय भूखण्ड दिनांक 21.11.2005 को कय किया व आवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है तथा आधा भूखण्ड अपने पुत्र अपीलांट संख्या 3 को अलग दे दिया, जिसने अपने मकानो में विधुत सम्बंध ले रखा है तथा अपीलांट संख्या 4 लगायत 7 ने विवादित आराजी में से बड़ा भूखण्ड अर्सा दो वर्ष पूर्व कय कर उसके चारो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तरफ तारबंदी व गेट लगाकर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा अपीलांट की भांति ही शेष रकबे पर भी काफी आबादी बसी हुई है तथा काफी लोगो के भूखण्ड मौके पर मौजूद है व उनका कब्जा व अधिकार चला आ रहा है रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट की स्वंय द्वारा जांच किए बिना ही रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा मकान व दुकान निर्माण की गयी गलत रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने मं गलती की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बंध में विवादित आराजी के कब्जे में जिन–जिन लोगो का कब्जा अधिकार था उनके कब्जे के सम्बंध में कोई जांच नही की ना ही उन्हे नोटिस व सूचना दी तथा ना ही उन्हे सुनवाई का अवसर दिया। विवादित भूमि पर अपीलांट काबिज होकर विधुत कनेक्शन प्राप्त कर आवास कर रहे है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नही थी। अत धारा 5, धारा 96 एवं अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने खातेदार को नोटिस जारी कर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपील के साथ प्रस्तुत विक्रय अनुबन्ध पत्र एवं विधुत विभाग के विधुत उपभोग विपत्र से मौके पर अपीलांट्स द्वारा काबिज होकर आवासीय मकान बनाकर आबाद होना प्रकट होता है। इससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही थे। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व में जानकारी हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 व धारा 5 स्वीकार किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमती प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट प्रभावित पक्षकार है अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर